

# बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

## झाँसी

बीआईईटी-416/अकाद-सू0/2019-457

दिनांक : 20 अगस्त, 2019

### -: आवश्यक सूचना :-

जिलाधिकारी महोदय, झाँसी से प्राप्त पत्र संख्या C-1974/स0क0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2019-20 दिनांक 13 अगस्त, 2019 के सन्दर्भ में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समस्त छात्र छात्राओं की उपस्थिति शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर होनी चाहिए तदुपरांत ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था समस्त वर्ग एवं वर्ष के छात्र छात्राओं पर लागू होगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति प्रमाणित होने पर आपका छात्रवृत्ति सम्बंधित फॉर्म संस्थान द्वारा समाज कल्याण को अग्रसारित किया जाना किसी भी दशा में संभव नहीं हो सकेगा।



(डीन एकेडेमिक)

Dean Academics

Bundelkhand Institute of Engineering & Technology  
JHANSI-284120

संलग्नक : पत्र की छायाप्रति संलग्न।

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।
4. श्री अखिलेश कुमार यादव/श्री एस एन पाठक/ श्री कमल किशोर शुक्ला/  
श्री भीमसेन भास्कर।
5. सम्बन्धित पत्रावली।



(डीन एकेडेमिक)



कार्यालय-जिलाधिकारी, झांसी।

पत्रांक : 1924/स0क0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2019-20

दिनांक : 13 अगस्त, 2019

- 1- कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
- 2- निदेशक, बुन्देलखण्ड अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
- 3- निदेशक, एस0आर0ग्रुप इंजीनियरिंग कालेज, अम्बाबाय।
- 4- निदेशक, श्रीमती विद्यावती कालेज आफ फार्मसी एण्ड नर्सिंग एवं एजुकेशन, झांसी।
- 5- प्रधानाचार्य, राघवेन्द्र नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, झांसी।
- 6- प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी।
- 7- प्रधानाचार्य, राजकीय पैरामेडिकल, कालेज, झांसी।
- 8- प्रधानाचार्य, बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झांसी।
- 9- प्रधानाचार्य, कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी।
- 10- निदेशक, चन्द्रशेखर आजाद विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, झांसी।
- 11- प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, झांसी/महिला पालीटेक्निक झांसी।
- 12- प्राचार्य, राजकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झांसी।
- 13- समस्त, प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0 जनपद झांसी (द्वारा-संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/शिशिक्षु, झांसी मण्डल)।
- 14- प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय जनपद झांसी (द्वारा-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी)।
- 15- प्रधानाचार्य, समस्त हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज जनपद झांसी (द्वारा-जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी)।

विषय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 75 प्रतिशत की अनिवार्य उपस्थिति वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-101/2017/आर-1614/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।। दिनांक 23 जून 2017 एवं शासनादेश संख्या-98/2017/आर-1615/26-3-2017-23(रिट)/2011टी.सी.।।। दिनांक 21 जून 2017 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत नियमावली के नियम-6 उप नियम (xviii) में व्यवस्था दी गयी है, कि शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा, यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस कराने दायित्व संस्था का होगा, यह व्यवस्था समस्त वर्ग के छात्रों पर लागू होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु बायोमैट्रिक मशीन तत्काल स्थापित कराना सुनिश्चित करें।

Dean, Academics

JILU

16/08/19

(शिव सहाय अवस्थी)  
जिलाधिकारी,  
झांसी

.....2 पर

Recd  
16/08/19

